न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2017

श्री देवा पुत्र छोगा जाति धाकड़ निवासी जतीपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर
– प्रार्थी

बनाम

1. **श्री रतनलाल पुत्र रामा।**
2. **श्री शंकरलाल पुत्र रामा**
   समस्त जातिगण बैरवा निवासीगण जतीपुरा तहसील सरवाड़
3. **श्री रामदेव पुत्र श्रीराम जाति धाकड निवासी जतीपुरा तहसील सरवाड़।**
4. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़।**

– अप्रार्थीगण

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री दौलत सिंह राठौड़ प्रार्थी

दिनांक 31.12.2019

निर्णय

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र वाके ग्राम स्यार तहसील सरवाड़ में स्थित है। खाता संख्या 270–210 ख. नं. 614 रकबा 13–16–00 बीघा किस्म बा. 3, बं 1 एवं ख. नं. 629 रकबा 05–00–00 किस्म बा. 3 है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी का उक्त आराजीयात पर निरंतर निर्बाध विधि पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के आराजीयात के पूर्वी ओर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की आराजीयात है तथा उसके लगवा पूर्वी ओर चरागाह भूमि स्थित है। उक्त चरागाह एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 के कब्जे स्वामित्व की आराजी ख. सं. 615 की दक्षिणी मेर के सहारे प्रार्थी अपने कब्जे स्वामित्व की आराजीयात पर कृषि कार्य हेतु आता जाता रहा है एवं प्रार्थी का उक्त रास्ता सबसे सुगम रहा है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात एवं उसमें आमद रफद के रास्ते में अप्रार्थीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा है तथा प्रार्थी करीब 50 वर्ष से भी अधिक समय से उक्त रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है। अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी को अपने आराजी पर आने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा कृषि उपज भी नहीं निकालने दे रहे है। अप्रार्थी सं. 3 को कोई वास्ता सरोकार नहीं है जबरन प्रार्थी को नाहक हैरान परेशन करने की नियत से प्रार्थी का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस तरमीम नहीं होने का नाजायत फायता उठाते हुए अप्रार्थी सं. 1 व 2 को बरगलाकर अपने साथ लेकर प्रार्थी के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे है। जिससे उक्त रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में किये जाने का निवेदन किया। दिनांक 06.01.2017 को प्रार्थी जब अपने खेत पर काम कर रहा था तब अप्रार्थीगणों के द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी की गयी। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते को काम मे लेने हेतु भूमि की कीमत अदा करने का भी निवेदन किया गया परंतु अप्रार्थीगणों के न मानने पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक एवं न्यायोचित हुआ। यह कि प्रार्थी ने अपने खेत पर आवाजाही एवं कृषि उपज निकालने हेतु 20 फीट चौड़े रास्ते की कीमत अदा करने हेतु तैयार एवं तत्पर रहा है एवं नियमानुसार रिपोर्ट तलब फरमाया जाकर उक्त रास्ते हेतु प्रार्थी को भूमि उपलब्ध करवायी जाकर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ अजमेर

Scanned by CamScanner

अमल दरामद करवाया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के आराजी ख. सं. 615 की दक्षिणी मेड के सहारे राजस्व नक्श ट्रेस में उक्त रास्ता बिन्दुवार दर्शाया गया है किन्तु फिर भी अप्रार्थीगण जबरन बल प्रयोग से उक्त रास्ते को अवरूद्ध करने पर आमादा है, ऐसा करने को उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्राईमा पैसाई होने से वाद का सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी सं. 4 राजस्व लेण्ड हॉल्डर होने के कारण एवं राजस्व रिकॉर्ड में संधारण होने के कारण पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है एवं वाद अतिशीघ्र प्रवृति का होने के कारण अप्रार्थी सं. 4 राजकीय सेवा में होने के कारण धारा 80/2 जाप्ता दीवानी के नोटिस से छूट दिया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में आता है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। मौके के संबंध में तहसीलदार सरवाड़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार सरवाड़ की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 6795 दिनांक 26.11.2019 से प्राप्त हुयी। जांच रिपोर्ट में ख. नं. 2001/966 रकबा 0.21 हैक्ट. व 2002/966 रकबा 0.22 हैक्ट. का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 55 के तहत समर्पण श्री सरकार दर्ज है। जिस पर रामदेव वल्द श्रीराम धाकड़ निवासी जतीपुरा द्वारा अनाधिकृत रूप से फसल सरसों काश्त कर रखी है तथा विवादित आराजीयात ख. नं. 2001/966 रकबा 0.21 हैक्ट. के लगवा है जो खातेदार देवा वल्द छोगा जाति धाकड़ निवासी जतीपुरा के नाम दर्ज है। ख. सं. 967 में जाने के लिए उक्त सिवायचक भूमि में से ही होकर जाने का वैकल्पिक रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक दूसरा रास्ता नहीं है।

अप्रार्थी अनुपस्थित एक पक्षीय वकील बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट विधिक मनन किया गया। तहसीलदार सरवाड़ की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि प्रार्थी को ख. सं. 967 में जाने के लिए उक्त सिवायचक भूमि ख. नं. 2001/966 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सरवाड़ को मौके पर ख. नं. 2001/966 के लगवा ख. नं. 967 पर जाने हेतु किनारे पर 15 फीट रास्ते के क्षेत्रफल की गणना कर डीएलसी दर की दुगुनी राशि वादी के द्वारा प्रतिवादी श्री सरकार के खातें में नियमानुसार जमा कराते हुये 15 फीट रास्ता का रिकॉर्ड व राजस्व नक्शें में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सरवाड़ उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चत करे।

आदेश आज दिनांक 31.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़
सरवाड (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.12 14:22:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: